रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2311] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 3, 2013/आश्विन 11, 1935
No. 2311] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 2013/ASVINA 11, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2013

का.आ. 2990(अ).— यत: नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा तथा उसके अनेक विंगों (जिसे इसमें इसके पश्चात् एन एल एफ टी कहा गया है) तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (जिसे इसमें इसके पश्चात् ए टी टी एफ कहा गया है) का स्पष्ट लक्ष्य, त्रिपुरा के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के सहयोग से और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से त्रिपुरा को भारत से अलग करके एक अलग राष्ट्र की स्थापना करना तथा ऐसे अलगाव के लिए त्रिपुरा के स्थानीय लोगों को भड़काना है;

और यत:, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (जिसे इसमें इसके पश्चात् ए टी टी एफ कहा गया है) का स्पष्ट लक्ष्य, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश को शामिल करते हुए सातों राज्यों का एक पृथक राष्ट्र बनाना जिसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के साथ मिलकर उक्त राज्यों को भारत से अलग करना, भारत से इन राज्यों को अलग करने के लिए सशस्त्र संघर्ष ज़ारी रखना तथा इस प्रकार इन राज्यों को भारत से अलग करना है;

और यत:, केन्द्र सरकार का मत है कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ —

(i) अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्रोही तथा हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और इस प्रकार ये सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचाते रहे हैं और लोगों में डर एवं आतंक फैलाते रहे हैं;

(ii) पूर्वोत्तर के अन्य विधिविरुद्ध संगठनों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं;

(iii) हाल के पिछले कुछ समय में अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हिंसक तथा विधिविरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं जो कि भारत की सम्प्रभुता तथा अखंडता के लिए हानिकर हैं;

और यत:, केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि उनकी हिंसक एवं विधिविरुद्ध गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं,—

(क) नागरिकों तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या;

(ख) त्रिपुरा में व्यवसायियों एवं व्यापारियों सहित जनता से जबरन धन ऐंठना;

(ग) सुरक्षित आश्रय, प्रशिक्षण, शस्त्र एवं गोलाबारूद आदि की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए पड़ोसी देशों में शिविर स्थापित करना तथा उन्हें बनाए रखना;

(घ) त्रिपुरा में जनजातीय एवं गैर-जनजातीय समुदायों के बीच साम्प्रदायिक संघर्ष उत्पन्न करना एवं उसमें वृद्धि करना;

और यत:, केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ की उपर्युक्त गतिविधियां भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के प्रतिकूल हैं तथा ये विधिविरुद्ध संगम हैं;

और यत:, केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि यदि एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ की विधिविरुद्ध गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध एवं नियंत्रण न लगाया गया तो इन संगठनों को निम्नलिखित कार्यों के करने का अवसर मिल जाएगा:—

(i) अलगाववादी, विद्रोही एवं हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने काडरों को संगठित करना;

(ii) भारत की संप्रभुता एवं राष्ट्रीय अखंडता के प्रति वैमनस्य भाव रखने वाली शक्तियों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करना;

(iii) नागरिकों की हत्याएं करने में संलिप्त रहना तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों को निशाना बनाना;

(iv) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से और अधिक गैर-कानूनी हथियार एवं गोलाबारूद प्राप्त करना और लाना;

(v) अपनी गतिविधियों के लिए जनता से जबरन धन ऐंठना तथा बड़ी राशि इकट्ठी करना।

अत:, अब, विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) को इसके सभी गुटों, शाखाओं और प्रमुख संगठनों सहित तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ) को इसके सभी गुटों, शाखाओं और प्रमुख संगठनों सहित विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है;

केन्द्र सरकार की, उक्त स्थितियों के मद्देनजर, यह भी राय है कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ को इसके सभी गुटों, स्कंधों तथा मुख्य संगठनों के साथ तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किए जाने वाले किसी भी आदेश के अध्यधीन, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 11011/43/2013-एन ई-V]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2013

S.O. 2990(E).–Whereas the National Liberation Front of Tripura and the various wings thereof (hereinafter referred to as the NLFT) and All Tripura Tiger Force (hereinafter referred to as the ATTF) have, as their professed aim, establishment of an independent nation by secession of Tripura from India through armed struggle in alliance with other armed secessionist organisations of Tripura and to incite indigenous people or Tripura for such secession;

And whereas, the All Tripura Tiger Force (hereinafter referred to as the ATTF) has, as its professed aim, the formation of a separate nation of seven sisters comprising Tripura, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Meghalaya and Arunachal Pradesh resulting in bringing about the secession of the said States from India, in alliance with other armed secessionist organizations of the North East region and to carry on armed struggle for separation of these States from India and thereby secession of these States from India;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the NLFT and the ATTF have been,—

- (i) engaging in subversive and violent activities, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and violence among the people for achieving their objectives;
- (ii) maintaining close nexus with other unlawful associations of North East with the aim of mobilising their support;
- (iii) in pursuance of their aims and objectives in recent past, engaging in violent and unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that their violent and unlawful activities include,—

- (a) killing of civilians and personnel belonging to the Police and security forces;
- (b) extortion of funds from the public including businessmen and traders in Tripura;
- (c) establishing and maintaining camps in neighboring countries for the purpose of safe sanctuary, training, procurement of arms and ammunitions, etc;
- (d) causing and fomenting communal clashes between the Tribal and non-tribal communities in Tripura;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that the aforesaid activities of the NLFT and the ATTF are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that they are unlawful associations;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that if there is no immediate curb and control of the NLFT and the ATTF they will take the opportunity to,—

- (i) mobilise their cadres for escalating their secessionist, subversive, and violent activities;
- (ii) propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;
- (iii) indulge in killings of civilians and targeting of the Police and Security Forces personnel;
- (iv) procure and induct illegal arms and ammunitions from across the international border;
- (v) extort and collect huge funds from the public for their unlawful activities;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government hereby declares the National Liberation Front of Tripura (NLFT) along with all its factions, wings and front organisations and the All Tripura Tiger Force (ATTF) along with all its factions, wings and front organisations as unlawful associations;

The Central Government, having regard to the above circumstances, is of further opinion that it is necessary to declare the NLFT and the ATTF alongwith all their factions, wings and front organisations as unlawful associations with immediate effect; and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 11011/43/2013-NE-V]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.